भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 435
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

अनाज का उत्पादन और आयात

435. श्री सुदामा प्रसादः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने बढ़ते 'अनाज अंतराल' का संज्ञान लिया है, जिसमें भारत एक ओर जहां अनाज का रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन दर्ज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पिछले दशक में अनाज का आयात दोगुना हो गया है, जैसा कि डाउन टू अर्थ द्वारा दिनांक 3/01/2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में दर्शाया गया है;
(ख) क्या यह विरोधाभास खरीद, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है और क्या कटाई के बाद के नुकसान और निर्यात-आयात नीति में व्याप्त कमियों के संबंध में कोई लेखा परीक्षण किया गया है;
(ग) मुक्त व्यापार समझौतों और अनाज निर्यात ने किस हद तक घरेलू मूल्य स्थिरता को प्रभावित किया है और निम्न-आय वर्गों की खाद्य सुरक्षा को संकट में डाला है;
(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार करने, निर्यात पर घरेलू प्राथमिकता सुनिश्चित करने और किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी नीति व्यवस्था को जारी रखने का औचित्य क्या है जो आवश्यक अनाजों में आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार प्रमुख अनाजों, विशेष रूप से चावल और गेहूँ में आत्मनिर्भरता बनाए हुए है, और पिछले एक दशक में इनके आयात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, हाल के वर्षों में भारत चावल और गेहूँ दोनों का निवल निर्यातक बना हुआ है।

घरेलू अनाज उत्पादन सुदृढ़ बना हुआ है, वर्ष 2014-15 में कुल उत्पादन लगभग 234.87 मिलियन टन था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 308.05 मिलियन टन से अधिक हो गया है। इसमें चावल और गेहूं दोनों का रिकॉर्ड उत्पादन स्तर शामिल है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024-25 में अनाज उत्पादन 328.72 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की आशा है। इसी वित्तीय वर्ष (2024-25) में, अनाज का निर्यात 20.90 मिलियन टन अनुमानित है, जो देश की अधिशेष और सुदृढ़ निर्यात क्षमता को रेखांकित करता है। इसके विपरीत, अनाज का आयात केवल 1.36 मिलियन टन होने का अनुमान है - जो समग्र घरेलू उत्पादन और निर्यात की तुलना में नगण्य है। वर्ष 2024-25 के दौरान अनाज आयात में मार्जिनल वृद्धि मुख्य रूप से मक्के के बढ़े हुए आयात के कारण है, जो लगभग 0.97 मिलियन मीट्रिक टन है। यह वृद्धि खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य कारकों से है।

सरकार की अनाज नीतियाँ आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और कृषि विविधीकरण के दोहरे उद्देश्यों से जुड़ी हैं। सरकार आवश्यक अनाजों में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के साथ-साथ (बायो फसल) जैसे उभरते क्षेत्रों की माँग का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में खरीद दक्षता, भंडारण पर्याप्तता और समान खाद्य पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा और सुधार के लिए प्रयासरत हैं।

(ख): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक की खरीद, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्य करता है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यतः चावल और गेहूँ के लिए खरीद के स्तर, बफर मानकों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई, भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन एवं निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ सृजित/किराए पर ली जाती हैं: -

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसएस) 2017-25 (31.03.2025 को समाप्त)
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. प्राइवेट वेयरहाउस योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. एसेट मॉनिटाइजेशन के तहत गोदामों का निर्माण
7. कवर्ड और प्लिंथ (सीएपी) हायरिंग योजना -2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ संशोधित पीईजी योजना

दिनांक 01.07.2025 तक, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण हेतु संपूर्ण देश में एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता 821.36 लाख मीट्रिक टन है।

(ग) से (ङ): सरकार किसानों के हितों, उपभोक्ता सामर्थ्य और बफर स्टॉक मानकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात और आयात संबंधी निर्णयों को सावधानीपूर्वक परखती है। तथापि, भारत की विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत व्यापार प्रतिबद्धताएँ हैं, परंतु यह घरेलू खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता को कम नहीं करतीं।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ किसानों को बाज़ार की अस्थिरता से बचाते हुए घरेलू प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• सभी राज्यों में खाद्यान्नों की निर्बाध पहुँच हेतु एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)।

• मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एफसीआई के पास चावल और गेहूँ का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना, मूल्य समर्थन योजनाओं के तहत खरीद और पीएम-आशा के तहत भावांतर भुगतान योजना, तथा विशिष्ट क्षेत्रों में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार करना।

• बढ़ती औद्योगिक माँग की प्रत्याशा में मिलेट और मक्का को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना।

किसानों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाए रखने तथा मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात और आयात उपायों को निर्धारित करने हेतु आवश्यक कृषि वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

*****